नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर०ए०एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 17/2021

1–गोपाल पुत्र श्यामलाल
2–ज्ञानी 3–हरीराम पिसरान सोहनलाल
4–राजो 5–सावित्री पुत्रीयान सोहनलाल जाति माली निवासी कस्बा जुरहरा तहसील कामां

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर
2–सरपू पुत्र इदरीश जाति मेव निवासी ग्राम नौगांवा तहसील कामां

अप्रार्थीगण

111,128

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक: 02.11.2022

111,128

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है । कि आराजी खसरा नम्बर 381/0.01, 385/0.10, 133/0.09, 382/0.06 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामां में स्थित है । साविक खसरा नम्बर 3729/2217 रकवा 0.26 हैक्टर वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय था जिसके नामान्तकरण संख्या 874 विभाजन से प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 खसरा नम्बर 3376/2217/0.08 हैक्टर के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हुये तथा 3777/2217/0.18 हैक्टर से अप्रार्थी संख्या 2 खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हुआ । नामान्तकरण संख्या 874 विभाजन का है । नामा0 की पुस्त पर खसरा नम्बर 2217 का नजरी नक्शा बनाया गया है । जिसमें कामां जुरहरा वाली सडक को दर्शाते हुये अप्रार्थी संख्या 2 को सडक के उत्तर दिशा में 3777/ 2217/0.18 दिया गया है और मुताबिक बंटवारे के बाद से ही इसी प्रकार से प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । बन्दोबस्ती विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 2217 के नये नम्बर कायम किये है । जिसमें प्रार्थीगण दो खसरा नम्बर 381/0.01, 385/0.10 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के दो खसरा नम्बर 133/0.09 व 382/0.06 कायम कर मिसल बन्दोबस्त में दर्ज कर दिये लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके की जांच किये खिलाफ कानून व मौका कब्जा के प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 381, 385 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 382 को नये नक्शा में सडक के दक्षिण दिशा में गलत दर्ज कर दिया है । जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 133, 382 एक ही खसरा नम्बर 3777/2217 में से बने है जो कामां जुरहरा वाली सडक के उत्तर मे स्थित है । जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी हो रही है । अप्रार्थी संख्या 2 गलत नये नक्शा में की गई तरमीम के आधार पर कब्जे काश्त प्रार्थीगण में मजाहमत व मदाखलत करता है । इसलिए प्रार्थी मौका कब्जा अनुसार नक्शा बन्दोबस्त में शुद्धि करवाना चाहते है । जो कि न्याय संगत है । हाल बन्दोबस्त नक्शा में खसरा नम्बर 382 को हटाकर हाल मौका कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 133 के पास दर्ज किया जावे । तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 385/0.10, 381/0.01 को

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

मौका कब्जा अनुसार कामां जुरहरा बाली सडक के दक्षिण दिशा में कायम किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस तलब किया गया । तहसीलदार कामां की मौका रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2047--77 वाके ग्राम जुरहरा 2 के अनुसार आ0ख0नं0 381/0.01, 385/0.10 पर गोपाल पुत्र श्यामलाल वगैरा की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा आ0ख0न0133/0.09, 382/0.06 पर सरफू पुत्र इदरीश की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है साविक आराजी खसरा नम्बर 3729/2217 रकवा 0.26 हैक्टर के हाल आ0ख0नं0 133/0.09, 381/0.01, 382/0.06, 385/0.10 बने है । साविक खसरा नम्बर 3729/2217रकवा 0.26 का विभाजन होकर प्रार्थीगण गोपाल पुत्र श्यामलाल वगैरा ख0नं03776/2217/0.18 दर्ज हुआ था लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड में गत के मुकाबले सही होना अंकित नहीं किया है । मुताबिक गत रिकार्ड प्रार्थीगण को 0.08 हैक्टर रकवे के स्थान पर हाल राजस्व रिकार्ड में 0.11 हैक्ट0 एव अप्रार्थी सरफू की खातेदारी में 0.18 हैक्टर के स्थान हाल बन्दोबस्ती रिकार्ड में 0.15 हैक्टर रकवा दर्ज किया गया है । प्रार्थीगण का मुताबिक राजस्व रिकार्ड में 0.11 हैक्टर के स्थानपर 0.08 है0 रकवा होना चाहिये । मौका आराजी खसरा नम्बर 385/0.10 हैक्टर के स्थान पर 385/0.07 व 381/0.01 का रकवा दर्ज किया जाना उचित है । तथा अप्रार्थी सरफू का आराजी खसरा नम्बर 133 का रकवा 0.09 के स्थान पर 0.12 हैक्टर व 382 /0.06 हैक्टर मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका के शुद्धि किया जाना उचित होगा । प्रार्थीगण का कुल रकवा 0.08 हैक्टर मौके पर मौजूद है तथा आराजी खसरा नम्बर 382 का रकवा 0.06 हैक्टर है तथा अप्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज था । जिसकी किस्म भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गुमु.सडक दर्ज की है । जो मुताबिक मौका सही है आराजी खसरा नम्बर 381, 382, 385 से लगा हुआ है जो सडक जुरहरा से कामां के मध्य सडक सीमा में ही स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 385/0.06 की किस्म जमीन भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा गु0मु0 सडक दर्ज की है ।

अतः मुताबिक मौका जांच प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 385 का रकवा 0.11 हैक्टर के स्थान पर 0.07 हैक्टर व अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 133 का रकवा 0.09 हैक्टर के स्थान पर 0.12 हैक्टर कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सं 2074–2077व नक्शा टेस जमाबन्दी न0 सं0 2069--2074 मिलान खसरा नामान्तकरण सं0 874 सलग्न किये है ।

पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । अपनी बहस में प्रार्थना पत्र लिखित तथ्यों बताया कि बन्दोबस्त नक्शा में खसरा नम्बर 382 को हटाकर हाल मौका कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 133 के पास दर्ज किया जावे । तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 385/0.10, 381/0.01 को मौका कब्जा अनुसार कामां जुरहरा बाली सडक के दक्षिण दिशा में कायम किया जावे । तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट में अबगत कराया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 3729/2217 रकवा 0.26 हैक्टर के हाल आ0ख0नं0 133/0.09, 381/0.01, 382/0.06, 385/0.10 बने है । साविक खसरा नम्बर 3729/2217 रकवा 0.26 का विभाजन होकर प्रार्थीगण गोपाल पुत्र श्यामलाल वगैरा ख0नं0 3776/2217/0.18 दर्ज हुआ था लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड में गत के मुकाबले सही होना अंकित नहीं किया है । मुताबिक गत रिकार्ड प्रार्थीगण को 0.08 हैक्टर रकवे के स्थान पर हाल राजस्व रिकार्ड में 0.11 हैक्ट0 एवं अप्रार्थी सरफू की खातेदारी में 0.

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

18 हैक्टर के स्थान हाल बन्दोबस्ती रिकार्ड में 0.15 हैक्टर रकवा दर्ज किया गया है मुताबिक राजस्व रिकार्ड में 0.11 हैक्टर के स्थानपर 0.08 है0 रकवा होना चाहिये । मौका आराजी खसरा नम्बर 385/0.10 हैक्टर के स्थान पर 385/0.07 व 381/0.01 का रकवा दर्ज किया जाना उचित है । तथा अप्रार्थी सरफू का आराजी खसरा नम्बर 133 का रकवा 0.09 के स्थान पर 0.12 हैक्टर व 382 /0.06 हैक्टर मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका के शुद्धि किया जाना उचित होगा । प्रार्थीगण का कुल रकवा 0.08 हैक्टर मौके पर मौजूद है तथा आराजी खसरा नम्बर 382 का रकवा 0.06 हैक्टर है तथा अप्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज था । जिसकी किस्म भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गुमु.सडक दर्ज की है । जो मुताबिक मौका सही, है आराजी खसरा नम्बर 381, 382, 385 से लगा हुआ है जो सडक जुरहरा से कामां के मध्य सडक सीमा में ही स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 385/0.06 की किस्म जमीन भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा गु0मु0 सडक दर्ज की है खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 385 का रकवा 0.11 हैक्टर के स्थान पर 0.07 हैक्टर व अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 133 का रकवा 0.09 हैक्टर के स्थान पर 0.12 हैक्टर कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थनापत्र व तहसीलदार कामां की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । आराजी खसरा नम्बर 381, 382, 385 से लगा हुआ है जो सडक जुरहरा से कामां के मध्य सडक सीमा में ही स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 385/0.06 की किस्म जमीन भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा गु0मु0 सडक दर्ज की है । खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 385, का रकवा 0.10 के स्थान पर 0.07 हैक्टर व अप्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 133 का रकवा 0.09 हैक्टर के स्थान पर 0.12 हैक्टर कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि । खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 385 का रकवा 0.10 के स्थान पर 0.07 हैक्टर व अप्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 133 का रकवा 0.09 हैक्टर के स्थान पर 0.12 हैक्टर कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाता है । तहसीलदार कामां को शुद्धि हेतु लिखा जावे ।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०